

दावा अन्तर्गत धारा 53-209 राज.काश्त.अधिनियम

उपस्थिति:-

1. श्री रणवीर सिंह विश्नोई वकील वादीगण
2. श्री नरेन्द्र भादू वकील प्रतिवादीगण सं 7-8-17
3. श्री महेन्द्र सिंह वकील प्रतिवादीगण सं. 1

-:निर्णय:-

दिनांक:- 27-11-19

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने वाद-पत्र अन्तर्गत धारा 53-209 राज.काश्त.अधिनियम प्रस्तुत किया था। जो इस न्यायालय के आदेश दिनांक 14.03.2017 द्वारा प्रारम्भिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार रायसिंहनगर से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर वकील पक्षकारान को सुचित किया गया। वकील वादी एवं प्रतिवादीगण की बहस सुनी गई। जिनके द्वारा विभाजन प्रस्ताव के संबंध में कोई एतराज प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः तहसीलदार रायसिंहनगर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार

दावा निम्न प्रकार से डिक्री किया जाता है :-

1. वादी नाजमसिंह, बलराज सिंह पुत्रगण जसवीर सिंह जाति जटसिख निवासी 16 आरबी तहसील रायसिंहनगर को चक 73 आरबी के पं.नं. 217/265 मु.नं. 43 के कि.नं. 21 ता 25 का 1.265 है० नहरी
2. वादी जसकरण सिंह पुत्र संतोख सिंह जाति जटसिख निवासी 16 आरबी तहसील रायसिंहनगर को चक 73 आरबी के पं.नं. 217/265 मु.नं. 43 के कि.नं. 16/2 में .013, 17/2 में .013, 18 ता 20 में .759 कुल 0.785 है० नहरी
3. वादी सतपाल सिंह पुत्र करनैल सिंह जाति जटसिख निवासी 16 आरबी तहसील रायसिंहनगर को चक 73 आरबी के पं.नं. 217/265 मु.नं. 43 के कि.नं. 16/1 में .240, 17/1 में .240, कुल 0.480 है० नहरी
4. हरनेक सिंह 1.456 है०, कुलदीपसिंह 1.049 है०, गुरचरणसिंह 0.645 है० पि० प्यारसिंह, अवतार कौर पत्नी प्यारा सिंह 0.646 है० कौम कम्बोज सिख साकिन 73 आरबी तहसील रायसिंहनगर को चक 73 आरबी के पं.नं. 217/265 मु.नं. 43 के कि.नं. 1 ता 15 सालम कुल 3.795 है० नहरी का विभाजन स्वीकार किया जाता है।

पर्चा डिक्री इसी आशय की जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27/11/19 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28
(रजिन्द्र सिंह)
उपस्थित अधिकारी (रा.प्र.ज.व.)
रायसिंहनगर

